अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 68/26 (CIS NO. 68/26)

एस. एम. न्यू सांगानेर बाईपास कॉलोनी वि.स. बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवमानना याचिका सं0 68/2026

एस एम न्यू सांगानेर बाईपास कॉलोनी विकास समिति बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 25.06.2026

अधिवक्ता अवमानना प्रस्तुतकर्ता श्री विष्णु दत्त भारद्वाज उपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर सारण उपस्थित। अप्रार्थी सं0 6 अनुपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता की ओर से हस्तगत अवमानना याचिका इस अधिकरण द्वारा पारित रेफरेंस याचिका सं0 193/2026 शीर्षक एस एम न्यू सांगानेर बाईपास कालोनी विकास समिति बनाम जविप्रा व अन्य आदेश दिनांक 27.03.2026 से संबंधित प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश की पालना न किये जाने को लेकर प्रस्तुत हुई है। इस अधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2026 को निम्नप्रकार आदेश पारित किया था कि :-

> " यह अधिकरण जविप्रा को यह आदेशित करता है कि वह मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से निरीक्षण करे तथा किसी भी प्रकार अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण पाया जाने पर विधिनुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी जाये। "

अप्रार्थीगण सं0 1 से 5 जविप्रा की ओर से हस्तगत अवमानना याचिका का जवाब कर कथन किया कि जविप्रा के यहां शिकायत प्रात होने पर जविप्रा द्वार मौका निरीक्षण कर वास्तविक तथ्यों की जांच पडताल करने के उपरांत मौके पर बतायेनुसार खतीजा त्यागी को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32 का नोटिस दिनांक 19.05.2026 को जारी कर विधिसम्मत कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। क्योंकि मौके पर बतायेनुसार प्रवर्तन शाखा की तकनीकी टीम से प्राप्त रिपोर्ट व मौका स्थिति अनुसार खतीजा त्यागी द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना में भूखण्ड

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 68/26 (CIS NO. 68/26)

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सं0 103 एस एम कॉलोनी 20 बाई 60 साईज के भूखण्ड में पीछे की तरफ 20 बाई 40 में सेटबेक कवर कर अस्थाई टीनशेड लगाकर व्यावसायिक उपयोग ले रहे है जो अवैध है। जिसके विरूद्व जविप्रा अवैध निर्माण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2026 की अवहेलना के जो आरोप लगाये गये है वह सरासर तौर पर मनगढंत एवं असत्य होने के कारण अस्वीकार है। जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में नियमानुसार जांच पडताल करने के उपरांत जविप्रा द्वारा अप्रार्थी सं0 6 का नोटिस जारी कर विधिसम्मत काग्रवाही अमल में लायी जा रही है।

अप्रार्थी सं0 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि हस्तगत अवमानना याचिका में अप्रार्थी पक्ष को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32 का नोटिस जारी किया जा चुका है। इस नोटिस पर कार्यवाही जारी है। अतः अवमनना का मामला नहीं है। अवमानना याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

यह अधिकरण हस्तगत अवमानना याचिका का निस्तारण निम्नप्रकार किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

अवमानना याचिका प्रस्तुतकर्ता एस.एम.न्यू सांगानेर बाईपास विकास समिति की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अवमाना याचिका उपरोक्त वर्णितानुसार अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अवमानना प्रार्थना पत्र का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया।

(महावीर प्रसाद गुप्ता)
पीठासीन अधिकारी,
अपीलीय अधिकरण,
जविप्रा, जयपुर

यह आदेश आज दिनांक **25.06.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या अपील 68/96 (CIS NO. 68/96)

एस.एम. न्यू सांगानेर आईस्पात प्रा. लि.

बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।	